अधिकारी, तिजारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 19.7.2023........ को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

...न्यायालय अधिकारी, ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
534/22	31–10–2022	19/07/2023

बउनवान :–

01. प्रदीप पटेल उम्र करीब 31 साल
02. प्रमोद पटेल उम्र करीब 29 साल पुत्रान सतबीर पुत्र करतारसिंह
03. विपिन पटेल उम्र करीब 28 साल पुत्र चतरसिंह पुत्र करतारसिंह
04. जतिन पटेल उम्र करीब 20 साल पुत्र श्री हरचन्दा पुत्र करतारसिंह
05. यशपटेल उम्र करीब 20 साल
06. हैप्पी पटेल करीब 19 साल पुत्रान श्री हजारी पुत्र करतारसिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज.)

––––:: वादीगण

बनाम

01. करतारसिंह उम्र करीब 75 साल पुत्र श्री प्रसादी जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)
02. तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार टपूकडा जिला अलवर (राज.)

––––:: असल प्रतिवादीगण

03. सतबीर
04. चतरसिंह
05. हरचन्दा
06. हजारी पुत्रान करतारसिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

––––:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वदीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 1.11 है0 में से 1/3 भाग, हाल आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 0.09 है0 654 रकबा 0.96 है0, 655 रकबा 0.49 है0, 656 रकबा 0.56 है0 किता 4 कुल रकबा 2.10 है0 में से 1/4 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 0.06 है0, 598 रकबा 0.65 है0, 601 रकबा 0.51 है0 किता 3 कुल रकबा 1.22 है0 सालिम हिस्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 696 रकबा 2.36 है0, 697 रकबा 1.90 है0 किता 2 कुल रकबा 4.26 है0 में से 1/12 भाग वाके ग्राम खिजूरीवास तहसील टपूकडा तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 0.72 है0 में से 1/3 हिस्सा, हाल

निर्माता : नवकार उपक्रम, अलवर Court

आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 1.18 है0, 316 रकबा 0.73 है0, 317 रकबा 1.06 है0, 329 रकबा 0.53 है0, 332 रकबा 0.30 है0, 333 रकबा 0.18 है0 किता 6 कुल रकबा 3.98 है0 में से 1/6 भाग व हाल आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.55 है0, 315 रकबा 0.63 है0, किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम गोधान तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त तीनों गांवों क्रमशः ग्राम मिलकपुर गुर्जर, खिजूरीवास व गोधान में उपरोक्त हिस्सा जो असल प्रतिवादी संख्या 1 करतारसिंह के नामित है, इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वर्णित विवादित आराजी जो असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है, हम वादीगण दादालाई आराजी। असल प्रतिवादी संख्या 1 के चार क्रमशः सतबीर, चतरसिंह, हरचन्दा व हजारी है। हम वादीगण संख्या 1 व 2 जो कि सतबीर के वारिसान, मिन वादी संख्या 3 जो कि चतरसिंह का वारिस, मिन वादी संख्या 4 जो कि हरचन्दा का वारिस तथा हम वादीगण संख्या 5 व 6 जो कि हजारी के वारिसान है। इस प्रकार असल प्रतिवादी संख्या 1 जो कि हम वादीगण का दादा है। उपरोक्त विवादित आराजी हम वादीगण की पैत्रिक, दादालाई आराजी है। उक्त विवादित आराजी हम वादीगण की दादालाई पैत्रिक आराजी है। जिस पर हम वादीगण का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है तथा हम वादीगण विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी में जन्म से ही काबिज व दाखिल है। उक्त विवादित आराजी में असल प्रतिवादी संख्या 1 के नामित हिस्से की भूमि में सजरानुसार व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हम वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/5 भाग, वादी संख्या 3 का 1/5 भाग, वादी संख्या 4 का 1/5 भाग व वादी संख्या 5 व 6 का 1/5 भाग तथा स्वयं असल प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/5 भाग निहित है और इसी कदर काबिज व दाखिल है। उक्त विवादित आराजी में हम वादीगण जन्म से ही बदस्तूर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चले आ रहे है। असल प्रतिवादी संख्या 1 जो कि उम्रदराज व्यक्ति है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, जो दीगर लोगों व प्रोपर्टी डीलरों के बहकावें में है और उक्त विवादित आराजी को बेचान करना चाहता है। जिन्होने कई बाई मौके पर आकर दीगर लोगों को जमीन दिखाई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। जबकि विवादित आराजी वादीगण की दादालाई पैत्रिक आराजी है। उक्त विवादित आराजी पर हम वादीगण जन्म से ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। जिस पर हम वादीगण का बाई बर्थ व अधिकार निहित है। उक्त विवादित आराजी जो असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जो सजरा ऐ खानदान व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हम वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/5 भाग, वादी संख्या 3 का 1/5 भाग, वादी संख्या 4 का 1/5 भाग, वादीगण संख्या 5 व 6 का 1/5 भाग निहित है। हम वादीगण विवादित आराजी में मौके पर अपने भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल है। वादीगण इसी कदर काश्तकार खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल कराकर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किया गया। असल प्रतिवादी सं0 1 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण जर्ये अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

असल प्रतिवादीगण करतारसिंह पुत्र प्रसादी व तरतीबी प्रतिवादीगण हरचन्दा पुत्र करतारसिंह, हजारी पुत्र करतारसिंह, चतरसिंह पुत्र करतारसिंह, सतबीर पुत्र करतारसिंह द्वारा अपने शपथ पत्र प्रस्तुत

निर्माता :
नवकार उपक्रम, अलवर
Court

कर निवेदन किया गया कि शपथ पत्रानुसार वाद को डिक्री कर दिया जावे तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। शपथ पत्र शामिल पत्रावली किये गये। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी की वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 1.11 है0 में से 1/3 भाग, हाल आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 0.09 है0 654 रकबा 0.96 है0, 655 रकबा 0.49 है0, 656 रकबा 0.56 है0 किता 4 कुल रकबा 2.10 है0 में से 1/4 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला अलवर हाल आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 0.06 है0, 598 रकबा 0.65 है0, 601 रकबा 0.51 है0 किता 3 कुल रकबा 1.22 है0 सालिम हिस्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 696 रकबा 2.36 है0, 697 रकबा 1.90 है0 किता 2 कुल रकबा 4.26 है0 में से 1/12 भाग वाके ग्राम खिजूरीवास तहसील टपूकडा पर दर्ज असल प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी संख्या 1 प्रदीप पटेल पुत्र सतबीर, वादी संख्या 2 प्रमोद पटेल पुत्र सतबीर एवं सीमा पुत्री सतबीर का 1/4 भाग, वादी संख्या 3 विपिन पटेल पुत्र चतरसिंह व नीतू पुत्री चतरसिंह का 1/4 भाग, वादी संख्या 4 जतिन पटेल पुत्र हरचन्दा व काजल पुत्री हरचन्दा का 1/4 भाग, वादी संख्या 5 यश पटेल पुत्र हजारी, वादी संख्या 6 हैप्पी पुत्र हजारी व सिवानी पुत्री हजारी का 1/4 भाग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 0.72 है0 में से 1/3 हिस्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 1.18 है0, 316 रकबा 0.73 है0, 317 रकबा 1.06 है0, 329 रकबा 0.53 है0, 332 रकबा 0.30 है0, 333 रकबा 0.18 है0 किता 6 कुल रकबा 3.98 है0 में से 1/6 भाग व हाल आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.55 है0, 315 रकबा 0.63 है0, किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम गोधान तहसील टपूकडा जिला अलवर की आराजी मुताबिक सहमति पत्र असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

निर्माता : नवकार उपक्रम, अलवर

जतिन पटेल पुत्र हरचन्दा व काजल पुत्री हरचन्दा का 1/4 भाग, वादी संख्या 5 यश पटेल पुत्र हजारी,
वादी संख्या 6 हैप्पी पुत्र हजारी व सिवानी पुत्री हजारी का 1/4 भाग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते
है इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 0.72 है0 में से 1/3 हिस्सा, हाल आराजी खसरा
नम्बर 309 रकबा 1.18 है0, 316 रकबा 0.73 है0, 317 रकबा 1.06 है0, 329 रकबा 0.53 है0, 332 रकबा 0.
30 है0, 333 रकबा 0.18 है0 किता 6 कुल रकबा 3.98 है0 में से 1/6 भाग व हाल आराजी खसरा नम्बर
312 रकबा 0.55 है0, 315 रकबा 0.63 है0, किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम गोधान
तहसील टपूकडा जिला अलवर की आराजी मुताबिक सहमति पत्र असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज
रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)